

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 2022

विषय- भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2016 के नियम-7(3) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर लोक सुनवाई हेतु नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-5 में समुचित सरकार द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये लोक सुनवाई का प्राविधान किया गया है। लोक सुनवाई हेतु अधिकारी नामित किये जाने के लिये सन्दर्भ राजस्व विभाग में प्राप्त हो रहे हैं। जिसके कारण अर्जन की कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है।

2- अवगत कराना है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-3(ड.) (i) से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना संख्या-491/एक-13-2014-7क(51)/14 दिनांक 06-08-2014 द्वारा जिला कलेक्टरों को, अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पृथक-पृथक परियोजना के लिए 100 एकड़ से अनधिक क्षेत्र के अर्जन के लिए, समुचित सरकार के रूप में माना गया है। शासनादेश संख्या-2/2018/284/एक-13-2018-7क(1)18 दिनांक 09-04-2018 के द्वारा 100 एकड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिये उनसे सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक विभाग को समुचित सरकार माना गया है। उक्त से यह स्पष्ट है कि अर्जन की कार्यवाही 100 एकड़. तक के लिये जिला कलेक्टर तथा 100 एकड़. से अधिक के लिये अर्जन निकाय के प्रशासनिक विभाग के द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2016 के नियम-7(3) के अनुसार 100 एकड़ से कम के अर्जन प्रकरणों में सामाजिक समाधात निर्धारण की लोक सुनवाई के लिये उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति हेतु समुचित सरकार के रूप में कलेक्टर सक्षम हैं। 100 एकड़ से अधिक के प्रकरणों में पूर्व की भाँति अर्जन निकाय के प्रशासनिक विभाग द्वारा इस कार्य को किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तारनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/एक-13-2022-रा0-13 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, भूमि अध्यापिति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।